

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी :- पीयूष समारिया
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 41/2021

आवास फाईनेंसर्स लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय 201-202, 2 द्वितीय तल साउथ एंड स्ववायर,
मानसरोवर इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर -302020

..... प्रार्थी

बनाम

1. श्री हंसराज वर्मा पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण वर्मा (बलाई), पता-ग्राम डिडवाना तहसील लालसोट जिला दौसा राजस्थान, दूसरा पता- हंसराम वर्मा पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण वर्मा सैटरिंग कॉन्ट्रेक्टर ग्राम डिडवाना तहसील लालसोट जिला दौसा राजस्थान।
2. श्रीमती सीमादेवी पत्नि श्री हंसराज वर्मा पता:-73, बास रैगरान गोल, डिडवाना तहसील लालसोट जिला दौसा राजस्थान

.... अप्रार्थीगण

प्रा0 पत्र अ0धा0 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम- 2002 बंधक सम्पत्ति का कब्जा सुपुर्दगी बाबत।

उपस्थित : श्री दिनेश जोशी, अधिवक्ता प्रार्थी।

आदेश

दिनांक: 28.9.2021

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी आवास फाईनेंसर्स लिमिटेड ने अप्रार्थी/ऋणीगण व अन्य को 4,50,000/- (रुपये चार लाख पचास हजार मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैंक का ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अंतर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002 की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

अधिवक्ता प्रार्थी आवास फाईनेंसर्स लिमिटेड को सुना गया। हमने प्रार्थी आवास फाईनेंसर्स लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी आवास फाईनेंसर्स लिमिटेड को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं कर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी करने पर ऋण राशि का शर्तों के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002 की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर बंधक रखी गई सम्पत्ति श्री हंसराज वर्मा पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण वर्मा (बलाई), पता- ग्राम डिडवाना तहसील लालसोट जिला दौसा की संपत्ति जो कि ग्राम पंचायत डिडवाना पंचायत समिति लालसोट द्वारा जारी आवासीय पट्टा संख्या 220 जारी दिनांक 01.05.2017 पर स्थित है जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी संपत्ति के अभिन्न अंग है जिसका बिल्टअप एरिया 88.88 वर्गगज एवं सुपर बिल्टअप एरिया 88.88 वर्गगज है जो कि थाना लालसोट के अंतर्गत है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी आवास फाईनेंसर्स लिमिटेड को, किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो, नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार हो एवं नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 28.9.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(पीयूष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा